न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—2021/66/225

1. किशना पुत्र काना, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम रामपुरा, (न्यारा) तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. रूकमा पत्नि छोगा,
2. नन्दा पुत्र छोगा,
3. रतन पुत्र छोगा,
4. अमरचन्द पुत्र छोगा,
   समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम रामपुरा, (न्यारा) तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।
5. नन्दा पुत्री छोगा पत्नि सुखदेव, जाति गुर्जर, निवासी रामपुरा, (न्यारा) तह. नसीराबाद, जिला अजमेर हाल निवासी ग्राम बडसूरी, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।
6. देउ पुत्री छोगा पत्नि रामकरण, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम रामपुरा, (न्यारा), तहसील नसीराबाद, हाल निवासी ग्राम बिडिकचियावास, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।
7. सीता पुत्री छोगा पत्नि नारायण, जाति गुर्जर, निवासी रामपुरा, (न्यारा), तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर हाल निवासी ग्राम बिडकचियावास, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।
8. काली पुत्री छोगा पत्नि भंवर, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम रामपुरा न्यारा हाल निवासी लीडी (बाडिया रायमल्ला)तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।
9. शारदा पुत्री छोगा पत्नि डगलसिंह, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम रामपुरा न्यारा, हाल निवासी ग्राम छोड़ा, तह0 मसूदा, जिला अजमेर ।
10. रामदेव पुत्र भोला, जाति गुर्जर,
11. दूदा पुत्र भोला, जाति गुर्जर,
12. सांवरा पुत्र भोला, जाति गुर्जर,
13. गीता पुत्री भोला, जाति गुर्जर,
14. लाडू पुत्र भोजा, जाति गुर्जर,
15. छोटू पुत्र भोला, जाति गुर्जर,
    समस्त निवासी ग्राम कालाहेड़ी, तहसील मसूदा, जिला अजमेर ।
16. राजू पुत्र लादू, जाति गुर्जर,, निवासी रामपुरा (न्यारा),
17. किशनगोपाल पुत्र नारायण, जाति गुर्जर, निवासी रामपुरा न्यारा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।
18. मैनेजर, यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा बाघसूरी तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।
19. मैनेजर, यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा भवानीखेड़ा, तहसील नसीराबाद जिला अजमेर ।
20. उप पंजीयन अधिकारी, नसीराबाद, तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

<u>अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 11.2.2021 अंतर्गत प्रकरण संख्या 61/2020.</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री मंगलाराम चौधरी, वकील अपीलांट ।
2. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील रेस्पो0 संख्या 2 से 16.
3. रेस्पो0 संख्या 1, 17 से 19 अनुपस्थित ।
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 20 व 21.

निर्णय

दिनांकः— 26.11.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय दिनांक 11.2.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 17 की सहखातेदारी काश्तकारी की आराजियात वर्किंग जमाबंदी के अनुसार पुराने खसरा नंबर 252 रकबा 4—15—10, खसरा नंबर 253 रकबा 13—11—10, खसरा नंबर 254 रकबा 10—6—00, खसरा नंबर 255 रकबा 70—8—00, खसरा नबर 256 रकबा 4—2—00 कुल रकबा 103—3—00 बीघा भूमियां ग्राम नाहरपुरा, तहसील नसीराबाद में अवस्थित है। उपरोक्त आराजियात को दिनांक 26.4.1985 को जरिये रजिस्ट्री से छोगा, उदा व किशना पुत्रगण काना, निवासी ग्राम रामपुरा एवं भोला व कल्ला व रेवता पुत्रगण काना, निवासी ग्राम कालाहेड़ी के द्वारा क्रय की गयी तथा क्रेता छोगा, उदा व किशना का बराबर बराबर 1/6 हिस्सा प्रत्येक का क्रय किया गया तथा भोला व कल्ला व रेवता का बराबर—बराबर 1/6 हिस्सा प्रत्येक का क्रय किया गया तथा क्रेता कल्ला व रेवता द्वारा अपना हिस्सा अप्रार्थी सख्या 16 व 17 को बेचान कर दिया गया तथा प्रार्थी को भी 1 बीघा भूमि का बेचान किया गया तथा भोला पुत्र काना गुर्जर क्रेता की मृत्यु हो गयी जिसके वारिसान अप्रार्थी संख्या 10 से 15 है जिनका 1/6 हिस्सा है तथा क्रेता छोगा की मृत्यु हो गई जिसके वारिसान अप्रार्थी संख्या 1 से 9 है जिनका हिस्सा 1/6 हिस्सा निहित है । क्रेता उदा पुत्र काना की नाऔलाद मृत्यु हो गयी जिसका 1/6 हिस्सा निहित था, के वारिसान प्रार्थी किशना पुत्र काना एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 9 है तथा क्रेता किशना पुत्र काना प्रार्थी है का 1/6 हिस्सा निहित था तथा उपरोक्तानुसार अप्रार्थी संख्या 1 से 9 एवं प्रार्थी का बराबर—बराबर स्वंय का 1/6 हिस्सा हिस्सा एवं उदा पुत्र काना का 1/6 हिस्सा में आधा—आधा 1/3 एवं 1/3 हिस्सा नाऔलाद फौत होने से निहित होने से प्रार्थी का उपरोक्त आराजियात में कुल 1/4 हिस्सा व 1 बीघा भूमि निहित है । दावाकृत भूमि में खातेदार उदा पुत्र काना ने दिनांक 26.4.1985 को 1/6 हिस्सा क्रय किया गया तथा उदा पुत्र काना की नाऔलाद मृत्यु हो गयी के वारिसान प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 9 होने से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 9 के नाम राजस्व रिकार्ड में आधा आधा

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

हिस्सा खातेदारी दर्ज करने के बजाय एवं बंदोबस्त विभाग एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा बिना किसी हक, अधिकार के अप्रार्थी संख्या 3 रतन पुत्र छोगा के नाम राजस्व रिकार्ड में गलत एवं त्रुटिपूर्ण रूप से अंकन कर दिया गया । जिसे दुरूस्त कर वारिसान अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में 1/6 हिस्सा का आधा हिस्सा प्रार्थी के नाम अंकन किया जावे तथा प्रार्थी के कुल 1/4 हिस्सा व 1 बीघा भूमि का वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज कर बंटवारा किया जावे । इस गलत इंद्राज के आधार पर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 17 प्रार्थी के हक व हिस्से की भूमि व कब्जे काश्त में दखलदांजी करते है तथा प्रार्थी की संयुक्त अविभाजित भूमि को हड़पना चाहते है तथा अन्यंत्र हस्तातंरण करने पर आमादा है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने दिनांक 4.11.2020 को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश पारित कर अप्रार्थीगण को आगामी आदेश तक विवादित आराजी के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति यथावत् रखने हेतु पाबंद किया । तत्पश्चात् दिनांक 11.2.2021 को अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 16 ने अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित होकर जवाब पेश किया जिस पर अधी0न्याया0 ने बहस सुनकर पूर्व में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 4.11.2020 को निरस्त करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.2.2021 को वर्तमान अपीलांट के प्रस्तुत दस्तावेज सजरा प्रमाण पत्र के अनुसार एवं वास्तविकता के अनुसार रतन पुत्र छोगा को रतन पुत्र उदा गलत रूप से राजस्व रिकार्ड में अंकित किया गया है जबकि प्रार्थी/अपीलांट विवादित आराजियात के सहखातेदार होने से उनका हक व हिस्सा निहित है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर पूर्व अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश को निरस्त करने में त्रुटि कारित की है । अपीलांट विवातिद आराजियात का रिकार्डेड सहखातेदार है जिसका आधिपत्य चला आ रहा है । अधी0न्याया0 के आदेश की आड़ में अप्रार्थीगण प्रार्थी को उसकी भूमि से बेदखल करने तथा अन्यंत्र हस्तातंरण करने की धमकियां दे रहे है, यदि रेस्पो0 अपने उक्त कृत्य में सफल हो गये तो अपीलांट द्वारा वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का औचित्य ही समाप्त हो जावेगा । अधी0न्याया0 को वाद की विषय वस्तु को वाद के निर्णय तक सुरक्षित रखा जाना आवश्यक एवं न्यायोचित था किन्तु अधी0न्याया0 ने बिना किसी आधार के पूर्व आदेश को निरस्त करने मे त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 16 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात में उदा पुत्र काना काना का 1/6 हिस्सा था । अपीलांट ने उदा को नाऔलाद फौत होना प्रार्थना पत्र में गलत अंकित किया है जबकि उदा का पुत्र रतन मौजूद है । उदा की पत्नि नाथी देवी ने अप्रार्थी संख्या 3 रतन के पक्ष में विवादित भूमि का पंजीकृत हक त्याग किया है । विवादित आराजियात में प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है । अप्रार्थीगण द्वारा अपीलांट को उसके हिस्से की आराजियात से बेदखल करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है एव

ना ही उसकी आराजियात को बेचने का प्रयास किया जा रहा है । अपीलांट ने मनगढ़त तथ्यों के आधार पर वाद एवं अपील पेश की है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को निरस्त किया है । यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश अंतरिम आदेश है न कि अंतिम आदेश । अंतरिम आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पोषणीय नहीं है । अतः अपील खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तवोजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया। अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पेश कर कथन किया कि विवादित आराजियात पक्षकारान की सहखातेदारी/सहकाश्तकारी की आराजियात है । उक्त आराजियात छोगा, उदा व किशना पुत्रगण काना निवासी ग्राम रामपुरा एवं भोला, कल्ला व रेवता पुत्रगण काना निवासी कालाहेड़ी ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय की थी जिससे प्रत्येक केता का विवादित आराजियात में 1/6, 1/6 हिस्सा निहित है । केता कल्ला व रेवता द्वारा अपना हिस्सा अप्रार्थी संख्या 16 व 17 को बेचान कर दिया गया तथा प्रार्थी को भी 1 बीघा भूमि का बेचान किया गया तथा भोला पुत्र काना गुर्जर केता की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान अप्रार्थी संख्या 10 से 15 है जिनका 1/6 हिस्सा है । केता छोगा की भी मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान अप्रार्थी संख्या 1 से 9 है । केता उदा पुत्र काना की नाऔलाद मृत्यु हो गयी है जिसका 1/6 हिस्सा निहित था जिसके वारिसान प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 9 है किन्तु वर्तमान रिकार्ड में उदा का हिस्सा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 9 के नाम आधा–आधा दर्ज करने के बजाय अप्रार्थी संख्या 3 अकेले के नाम दर्ज कर दिया है । उक्त गलत इंद्राज के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 से 17 प्रार्थी की संयुक्त अविभाजित भूमि को हड़पना चाहते है तथा दखलदांजी करते है। अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर दिनांक 4.11.2020 को अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी आदेश तक पाबंद किया कि आराजी मुतनाजा के मौके व राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत् रखे । कोई आपत्ति हो तो आगामी तारीख पेश पर प्रस्तुत करे। तत्पश्चात् अधी0न्याया0 ने अप्रार्थीगण संख्या 2 से 16 की ओर से जवाब पेश होने पर पूर्व में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश को दिनांक 11.2.2021 को निरस्त कर पत्रावली वास्ते वारिस रिकार्ड पर लेने व शेष अप्रार्थीगण की तलबी हेतु आगामी पेशी को नियत कर दी । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मूल प्रार्थना पत्र अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन है तथा मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है । अधी0न्याया0 के समक्ष पत्रावली में शेष अप्रार्थीगण की तलबी शेष होने के बावजूद अधी0न्याया0 ने पूर्व में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश को निरस्त करने में त्रुटि कारित की है। अधी0न्याया0 को समस्त पक्षकारान से जवाब साक्ष्य प्राप्त करने के उपरांत प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर निर्णय करना न्यायोचित था किन्तु अधी0न्याया0 ने केवल मात्र अप्रार्थीगण संख्या 2 से 16 द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर अपीलांट एवं अन्य अप्रार्थीगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 61/2020 में पारित आदेश पारित आदेश दिनांक 11.2.2021 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 का गुणावगुण पर निस्तारण करे तब तक अप्रार्थी को इस अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजियात का प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक रहन, बय, बैचान, हस्तातंरण इत्यादि नहीं करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 26.11.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर